

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स .3-3 (1) स्था/मंत्रा./अभि./2016/11930-34 दिनांक

3-11-16

आदेश:

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी. ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 में वर्णित शर्तों के अनुसार निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवानिवृत्ति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनो में से जो कम हो, जो कि इस शर्त के अध्यक्षीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन मे से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	से.नि. से पूर्व का विभाग	ए.डी.पी कार्यालय का नाम जिसमें नियुक्ति की जानी है	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
01	श्री सतीश कुमार गुप्ता	03.07.1956	अभि0 विभाग	एडीपी अलवर	प्रथम बार
02	श्री भोलानाथ शर्मा	30.09.1954	अभि0 विभाग	एडीपी अलवर	प्रथम बार
03	श्री आनन्द प्रकाश अटल	09.04.1955	अभि0 विभाग	एडीपी अलवर	प्रथम बार
04	श्री लखन लाल वैष्णव	04.08.1955	शिक्षा विभाग	एडीपी सवाईमाधोपुर	प्रथम बार
05	श्री रामप्रसाद शर्मा	24.07.1953	शिक्षा विभाग	एडीपी चित्तोडगढ	प्रथम बार
06	श्री भगवती लाल चाडवा	25.05.1955	जल संसाधन विभाग	एडीपी चित्तोडगढ	प्रथम बार
07	श्री अरुण कुमार चौधरी	06.01.1955	जल संसाधन विभाग	एडीपी चित्तोडगढ	प्रथम बार
08	श्री सुरेश चन्द जोशी	05.07.1955	राज्य बीमा विभाग	एडीपी चित्तोडगढ	प्रथम बार
09	श्री औमप्रकाश शर्मा	05.07.1955	भू. प्रबन्ध विभाग	एडीपी टोंक	प्रथम बार
10	श्री महेन्द्र सिंह	01.08.1955	अभि0 विभाग	एडीपी टोंक	प्रथम बार
11	श्री मधुप कुमार सक्सैना	03.07.1956	अभि0 विभाग	एडीपी जयपुर प्रथम	प्रथम बार
12	श्री रामनिवास भालोठिया	01.02.1954	राजस्व विभाग	एडीपी झुन्झुनू	प्रथम बार
13	श्री सुरेश कुमार शर्मा	13.09.1955	अभि0 विभाग	एडीपी बीकानेर	प्रथम बार
14	श्री विनोद लालवानी	02.02.1956	अभि0 विभाग	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
15	श्री लीलाधर शर्मा	15.06.1953	अभि0 विभाग	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
16	श्री राजेश कुमार	21.07.1956	शिक्षा विभाग	एडीपी अजमेर	प्रथम बार


- कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेगे।

2/11/16

- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा दिनांक 28.02.2017 तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएँ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भूगतान बजट मद 2014-00-114-(02)(01)(41) (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।


यह आदेश गृह(ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 98563 दिनांक 06.10.2016 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें।


 (देवेन्द्र दीक्षित)
 निदेशक अभियोजन
 राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन,
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
- 5 लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।


 निदेशक अभियोजन
 राजस्थान जयपुर